

**कार्यालय,
राजिब, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
एतार प्रदेश संरक्षण।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्ध/2019/1132

संरक्षणक दिनांक: 15-6-2019

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिकांश प्राथमिक शैक्षणिक शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 हेतु विद्यालय स्तरीय प्रवर्तनीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में राजिब प्राथमिक शिक्षा परिषद, एतार संरक्षण से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, एतार संरक्षण की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवोध हुई। बैठक में वर्ष 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संस्थागत संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अज्ञाता एचि/काली हेतु वर्ष 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अंतर्गत में सम्बद्धता समिति की बैठक को एतार-17 में विद्यालय इन कार्यों को पर्यवेक्षण संश्लेषित करने वाली नई संस्था का पर्यवेक्षण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा एतार विद्या-विस्तार का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

ऐसी नवस्थापित विद्यालय इन फार्मों की संख्याएं जिन्हें वर्ष 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम वर्ष 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यान्वयन में सम्मिलित कथना जा सके।

उक्त निम्नानुसार संश्लेषित संस्था की परिषद की निरीक्षण समिति एवं विद्या-विस्तार द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अज्ञात नए प्राथमिक शिक्षा परिषद, एतार संरक्षण द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु निम्नांकित ताली के अंतर्गत पर्यवेक्षण एवं काली अधिन स्तरीय अज्ञाता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	साधक का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुमोदित संस्था अज्ञात	परिषद द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुमोदित संस्था अज्ञात
1	4333	एतार एतार एतार एतार एतार एतार एतार एतार-एतार एतार-एतार एतार-एतार एतार एतार एतार-एतार	विद्यालय इन कार्यों	क	ख

सम्बद्धता हेतु ताली

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी ताली का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था एतार प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एतार एतार तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभाजनवाली एतार तथा अन्य निर्मित संस्थाएं एतार अंतर्गत का अनुमोदन करनी तथा कुछ निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित कुछ अन्य परीक्षा द्वारा पाठ्यक्रमों हेतु एतार एतार/ - काली, एतार अंतर्गत अंतर्गत पर्यवेक्षण हेतु

प्रेषक

राज्य
राज्य प्रवेश परीक्षा परिषद, राजस्थान
1, बुक बिल्डिंग सिंह मार्ग,
जयपुर

प्रेषण में

समाप्त प्रधानाचार्य,
राजकीय, अनुमोदित एवं निजी पॉलीटेक्निक संस्थान,
राजस्थान प्रदेश

संख्या: 4658 / संस्थाप / ई-2(प्रशा) / 2019 दिनांक: 04 जुलाई, 2019

विषय: प्रवेश की नई हुई सीटों की सम्बन्ध में सूचना।
नामपर

प्रस्ताव में वर्ष-2019 की आनसाइज्ड वायफनिलिग प्रक्रिया का प्रथम चरण प्रवृत्त है और सफलता द्वारा प्रवेश की कार्यवाही की जा रही है। कई संस्थानों के प्रधानाचार्यों द्वारा यह पूछा जा रहा है कि AICTE से अनुमोदित प्रवेश अथवा से अधिक प्राप्त अर्जेंटि विन्ने जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत करता है कि प्रत्येक संस्था/प्राध्यापक ने AICTE/PCI से अनुमोदित सीटों के सापेक्ष 25% सीटें बढ़ाकर प्रवेश दिये जा रहे हैं। निर्धारित नई हुई सीटों की अनुदान की सीट मैट्रिक्स तैयार कर प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा रही है।

सूचना jeeoccupan.in पर दर्शायी जा रही सीटों के विरुद्ध प्रवेश देने का दावा करें। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

भवदीय,

(राजेश्वर वैद्य)

04/07/19

राज्य प्रवेश परीक्षा परिषद
जयपुर

पुस्तक एवं विभागीय तथैय

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाई प्रेषित :-

1. निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सनरा तैयारी संयुक्त निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी राज्य, विशेष राज्य, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान शासन को निर्देशक सूचोदय संस्था के आयोजनार्थ।

(राजेश्वर वैद्य)

04/07/19

राज्य प्रवेश परीक्षा परिषद
जयपुर

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/1001

सम्बन्धित दिनांक: 18-8-2020

- कार्यालय धारा -

अधिकांश सरकारी/सरकारी शिक्षा परिषद, पूर्व शिक्षा/कार्यकारी प्राविधिक शिक्षा आयोग, पूर्व दिवसी द्वारा संचालित वर्ष 2020-21 हेतु विद्यार्थी कार्यालय/कार्यालयी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उत्पन्न प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिसूचना में परिषद कार्यालय में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना संख्या सं. 2020-21 हेतु कार्यालय पूर्व संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/संयोजक/प्रदेश सरकार यदि कोई अन्य शर्तों का विधान करते हुए वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिए जाने का निर्णय किया गया।

उक्त की अनुमति से सम्बद्धता संचालित की जाने का सं. 2020-21 में विद्यार्थी इन शर्तों के अधिनियम कार्यालय कार्यालय कार्यालय पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं का उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा परिषद/प्राविधिक शिक्षा परिषद/प्राविधिक शिक्षा परिषद।

"विद्यार्थी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी इन शर्तों के अधिनियम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु प्रोत्साहित/पूर्व द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में प्रोत्साहित/पूर्व द्वारा प्रदान किये जाने अनुमोदन विस्तार के अनुसार उक्त नाम के अनुमोदन संचालित/संयोजक/प्रदेश सरकार के साथ वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यवाही से प्रोत्साहित/पूर्व द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय किया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा परिषद में विद्यार्थी इन शर्तों के अधिनियम के अनुसार से विचार-विमर्श की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु विद्यार्थी इन शर्तों के अधिनियम संचालित/संयोजक/प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संयोजक का नाम	प्रोत्साहित/पूर्व द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया	विद्यार्थी इन शर्तों/परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया
1.	उक्त	कार्यकारी प्राविधिक शिक्षा आयोग (विद्यार्थी-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित)	विद्यार्थी इन शर्तों	हाँ	हाँ

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ उत्तर प्रदेश प्रोत्साहित/पूर्व, प्रोत्साहित/पूर्व द्वारा विद्यार्थी इन शर्तों का पूर्णतः प्रदान करेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा परिषद, विद्यार्थी इन शर्तों के अधिनियम संचालित/संयोजक/प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार प्रदान करने के लिए दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिसूचना में परिषद कार्यालय में अधिसूचना संख्या सं. 2020-21 हेतु कार्यालय पूर्व संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/संयोजक/प्रदेश सरकार यदि कोई अन्य शर्तों का विधान करते हुए वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिए जाने का निर्णय किया गया।



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4085-DR. V.K.VERMA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE,VILL-BASUAPAR,POST-BADHANI,TEHSIL-HARRAIYA,PS-NAGAR,BASTI-272131			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा

ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद
सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DR. V.K. VERMA INSTITUTE OF MEDICAL
SCIENCE, VILL-BASUAPAR, POST-BADHANI, TEHSIL-
HARRAIYA, PS-NAGAR, BASTI-272131



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव